उर्फ कल्याण सिंह व रहन शब्द के आधार पर वादीगण के हक हकूक प्रभावित होने की स्थिति में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः यह तनकी संख्या 2 भी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

अनुतोष– उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण ने वाद को महत्वपूर्ण व सुसंगत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से साबित किया है, प्रतिवादी अपने जिम्मे की तनकी को साबित करने में पूर्णतः असफल रहे है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 गैरकाबिज, गैरवास्ता, गैरकाश्त, गैरहकदार व्यक्ति है। तनकी संख्या 1 से 3 वादीगण के पक्ष में निर्णित हुई है। न्यायालय का सम्यक समाधान है। अतः न्यायालय वादीगण के वाद को डिक्री किये जाने योग्य पाता है। परिणामतः वादीगण वादपत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर के हाल ख0न0 570 रकबा 0.10, 572 रकबा 0.44, 573 रकबा 0.47, 574 रकबा 0.08 है0 में से 0.51 ऐयर के बाबत का वादीगण को संभाग में खातेदार काश्तकार अभीधारी घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज का नाम उक्त विवादित भूमि रकबे के बाबत का साबिक व हाल राजस्व रिकार्ड से हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को सदैव के लिए उक्त हिस्से रकबे के बाबत स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के रकबे हिस्से में वादीगण के कब्जे काश्त में दखल, मजामहत किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न स्वयं करे, न ही किसी अन्य से कराये। यह खातेदारी वादीगण को प्रतिवादीगण के सम्पूर्ण प्रभारों, भारों, विलंगमों से पूर्णत मुक्त रहेगी। तहसीलदार मुण्डावर रिकार्ड में अमल करें, निर्णय की पालना सुनिश्चित करें। तदानुसार पृथक से पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

22.03.18

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर(अलवर)

Scanned by CamScanner